

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 30.10.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित 252वीं बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. डॉ. देबाशीष पृष्ठी	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगर विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2. डॉ. रश्मि शर्मा	आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
3. श्री रवि राय वर्मा	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4. श्री एजाज नबी खान (प्रतिनिधि)	संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट),	
5. श्री गोपाल सिंह	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य-सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे:-

1. डॉ. अशोक कुमार	उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल
2. श्री रोहताश सिंह यादव	वित्तीय सलाहकार,
3. श्रीमती रिकू बंसल	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
4. श्री गिरधारी लाल जाखड़	निदेशक विधि
5. श्री अमित अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता-प्रथम
6. श्री तेजवीर सिंह मीना	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
7. श्री पौद्धार प्रकाश शार्दूल	वरिष्ठ नगर नियोजक
8. श्री हंसराज दुपग्गा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय
9. श्री संजय शर्मा	उप आवासन आयुक्त
10. श्री उमेश कुमार गोयल	तकनीकी सलाहकार- आवासन आयुक्त
11. श्री कुणाल वशिष्ठ	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

—:: कार्यवाही विवरण ::—

विचार बिन्दु सं	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
252.01	दिनांक 28.07.2025 को सम्पन्न हुई मण्डल की 251वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि	251वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
252.02	दिनांक 28.07.2025 को सम्पन्न हुई मण्डल की 251वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ	251वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।	Secretary

72
10/11/25



252.03	मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर में सेक्टर-03, गंगा मार्ग पर स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 3/सी/6 का दिनांक 09.10.2024 को आयोजित ई-ऑक्शन नीलामी द्वारा निस्तारण एवं मण्डल मुख्यालय से जारी निरस्तीकरण उपरान्त सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय पश्चात् निरस्तीकरण आदेश की मण्डल की संचालक मण्डल की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
252.04	मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना में सेक्टर-23 के व्यावसायिक भूखण्ड-संख्या 23/K, 23/I, 23/L, 23/M, एवं सेक्टर-19 के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 194/A-1 को ई-ऑक्शन नीलामी के उपरान्त सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय पश्चात् जारी स्वीकृति आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं सेक्टर-23 के 23/F, 23/G, 23/J, 23/H, के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से किये गये निर्णय पश्चात् निरस्तीकरण आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
252.05	मण्डल में संवेदकों के विभिन्न श्रेणियों में पंजीबद्धीकरण लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियमों (PWF&AR) के अनुसार करने बाबत्	प्रस्तावानुसार मण्डल में संवेदकों के विभिन्न श्रेणियों में पंजीबद्धीकरण लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियमों (PWF&AR) के अनुसार करने निर्णय लिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE (HQ)
252.06	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना, लाखेरी जिला बून्दी में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग-अ के 59 मध्यम आय वर्ग-ब के 25 तथा उच्च आय वर्ग के 10 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की राशि रु. 1820.31 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना, लाखेरी जिला बून्दी में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग-अ के 59 मध्यम आय वर्ग-ब के 25 तथा उच्च आय वर्ग के 10 स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की राशि रु. 1820.31 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I/ ACE-III

10/11/25

252.07	राजस्थान आवासन मण्डल विभिन्न योजनाओं में रेरा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु मण्डल स्तर पर Chartered Accounts, Company Secretaries, Cost Accountants And Legal Practitioners/ Firms As Rera Consultants को एक वर्ष की अवधि हेतु Empanelment किये जाने के प्रस्ताव को संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी स्वीकृति को कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)
252.08	दिनांक 27.10.2025 को राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के एकादशम प्रान्तीय सम्मेलन के अवसर पर संघ के कार्यकारिणी सदस्यों एवं साधारण सदस्यों को स्वीकृत किये गये एक दिवस के विशेष अवकाश की कार्यान्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
252.09	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्यान्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
252.10	वित्तीय वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (वैधानिक अंकेक्षक) की नियुक्ति हेतु जारी आदेश की कार्यान्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
252.11	Construction of technically approved structural covering/ Mumpty over fire stair and Tennis Court Extension at AIS Residency Phase-1 Sec-17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पुनर्भरण मद में होने वाले व्यय का CER मद में समायोजन किये जाने की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I/ ACE-I
252.12	कोचिंग हब टावर नं.-8 को नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय, को अस्थायी रूप से आवंटन की कार्यान्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I/ ACE-I

2
10/11/25

252.13	Ex-Post Facto Approval Of Bid For Construction Of EWS (G+3) 208 Nos Flats & Internal Development Work At Panerioyn Ki Madari Ext. Udaipur	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-II
252.14	1. रिव्यू याचिका सं. 213/2025 राजस्थान आवासन मण्डल बनाम प्रीति गुप्ता 2. रिव्यू याचिका सं. 214/2025 राजस्थान आवासन मण्डल बनाम एम.सी.मिस्तल। 3. रिव्यू याचिका सं. 11726/2025 राजस्थान आवासन मण्डल बनाम बजरंगलाल। 4. रिव्यू याचिका सं. 17856/2025 राजस्थान आवासन मण्डल बनाम नरेन्द्र कुमार।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	DL

बैठक के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव (टेबल एजेण्डा) की सूची :-

विचार बिन्दु सं	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
252.15	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रतापनगर योजना के सेक्टर-06 (जोन-68) में स्थित सामुदायिक केन्द्र जर्जर होने के कारण पूर्व में निर्मित भवन को ध्वस्तीकरण कराये जाने हेतु संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I/ ACE-I
252.16	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना अटारु जिला बारां में प्रस्तावित आवास उच्च आय वर्ग-13, मध्यम आय वर्ग अ-24, अल्प आय वर्ग-89, घरौंदा-50 वर्ग के स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की राशि 1947.33 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना अटारु जिला बारां में प्रस्तावित आवास उच्च आय वर्ग-13, मध्यम आय वर्ग अ-24, अल्प आय वर्ग-89, घरौंदा-50 वर्ग के स्वतंत्र आवासों के निर्माण कार्य की राशि 1947.33 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I/ ACE-III

72
10/11/25

252.17	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) संचालक मण्डल से अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) का अनुमोदन किया गया।	FA
--------	---	--	----

बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये :-

क्र. सं.	प्रदत्त निर्देश	कार्यवाही द्वारा
252.01	मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में विकसित किये जा रहे हैं सिटीपार्क के विकास कार्यों के प्रतिकात्मक जांच रिपोर्ट भिजवायी जानी है साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार colour barrier indicator लगाने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE-I/ ACE-I
252.02	मण्डल की सम्पत्तियों के निस्तारण एवं नवीन योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु मण्डल की मार्केटिंग टीम द्वारा रिको की योजनाओं का एवं रिको द्वारा मण्डल की योजनाओं का प्रचार किये जाने हेतु स्ट्रेटजी तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये।	CEM/PRO
252.03	मण्डल की योजनाओं, बुधवार निलामी एवं ई-ऑक्शन के प्रचार प्रसार हेतु मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरो, शहर के प्रमुख स्थलों पर डिस्प्ले लगाना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाना एवं मण्डल की वेबसाईट पर शोर्ट रील चलाने इत्यादि विकल्पों पर कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	PRO
252.04	मण्डल की नवीन आवासीय योजनाओं हेतु सरकारी भूमि लिये जाने के लिये प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के स्तर से जिला कलक्टरों को पत्र जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	LAO
252.05	मण्डल द्वारा आगामी 05 वर्ष में लायी जाने वाली नवीन योजनाओं हेतु विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार कर राज्य सरकार के दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को 02 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय विभागीय मंत्री महोदय से विमोचन करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE(HQ)/FA
252.06	नवनियुक्त परिविक्षाधीन कार्मिकों को 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आर.आई.सी. में आयोजन करने जिसका उद्घाटन विभागीय मंत्री महोदय से करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE(HQ)/ Secy

71
10/11/25

252.07	मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि की सुरक्षा हेतु तार बंदी/पत्थरगद्दी एवं आवश्यकतानुसार Drone Survey करने के निर्देश प्रदान किये गये। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक माह में वीडियो कॉन्फ्रेंस किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये जिसमें सभी आवासीय अभियन्ता अपने क्षेत्र की 02 मिनट्स की प्रगति रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ सहित शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मण्डल की भूमियों पर से अतिक्रमण हटाने, लॉ एण्ड ऑर्डर बनाये रखने के लिये संबंधित जिला कलक्टरों से आवश्यक सहयोग लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE(I, II)
252.08	मण्डल द्वारा आवंटित परिसम्पत्तियों का पुनर्विचान नहीं किये जाने हेतु Resale Policy तैयार करने एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों/प्लेटों की लागत के अनुसार मण्डल के लागत सिदांतों के परीक्षण हेतु Secy, FA, CEM, Dir. Law की समिति गठन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	Secy, FA, CEM, Dir. Law
252.09	मण्डल द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार भुगतान की गयी राशि/भूमि के पेटे मण्डल को राशि पुनर्भुगतान/भूमि उपलब्ध करवाने हेतु नगरीय विकास विभाग को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	FA
252.10	माननीय न्यायालयों के लंबित अवमानना/स्थगन प्रकरणों में एएजी एवं एजी से सम्पर्क कर प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन किये जाने एवं निदेशक विधि को व्यक्तिगत रूप से मण्डल हित में आवश्यक पर्यवेक्षण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	DL
252.11	Reduce, Reuse एवं Recycle के सिद्धांतों को लागू करने हेतु मण्डल द्वारा नवीन योजनाओं के निर्माण के दौरान Waste Material को सड़क निर्माण में लिये जाने एवं ग्रीन बिल्डिंग पोलिसी पीडब्ल्यूडी में प्रचलित पोलिसी के अनुसार तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE(HQ, I, II)
252.12	मण्डल के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने के लिये मण्डल द्वारा प्रताप नगर सांगानेर जयपुर में NABL टेस्टिंग लेब स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये।	CE(HQ)

71
10/11/25

252.13	मण्डल की सम्पत्तियों को ई-ऑक्शन/बुधवार निलामी के द्वारा निस्तारण करने के लिये कन्सल्टेन्सी हायर करके राजरेडकों को निःशुल्क प्रचार के लिये देने के निर्देश प्रदान किये गये।	CEM
252.14	राजस्थान वित्त निगम से मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री सतीश अग्रवाल, उप प्रबंधक, श्री कमल राय, जमादार, श्री चन्दन सिंह, जमादार, एवं श्री बलभद्र को आमेलित करने के संबंध में संचालक मण्डल की दिनांक 30.09.2023 को आयोजित 249वीं बैठक के विन्दु संख्या 249.15 पर लिये गये निर्णय के क्रम में नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 22.02.2024 (जिसमें प्रकरण प्रशासनिक स्तर का होने के कारण मण्डल स्वयं अपने स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय ले सकता है) प्राप्त हुआ। आमेलन के संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त राय दिनांक 12.12.2024 (अन्य सेवाओं से मण्डल सेवा में आमेलन किये जाने के संबंध में वित्त विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु आमेलन के लिये मण्डल के सक्षम स्तर पर प्रशासनिक निर्णय एवं माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन लिया जाना तथा आमेलन के क्रम में मण्डल में कार्मिक को आमेलित पद पर देय लाभों एवं संबंधित पद पर वरियता निर्धारण संबंधित शर्तें तय की जानी अपेक्षित है। आमेलन हेतु कार्मिक द्वारा अन्य सेवा में धारित पद राजस्थान आवासन मण्डल में रिक्त होना अपेक्षित है अथवा मण्डल में धारित पद का समकक्ष पद रिक्त होना आवश्यक है।) के आधार पर मण्डल की दिनांक 28.07.2025 को आयोजित 251वीं बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश क्रमांक 09 की पालना में गठित समिति की दिनांक 09.10.2025 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र दिनांक 12.12.2024 की पालना करते हुये आमेलन के संबंध में निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार प्रशासनिक विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर उपरोक्त लोकसेवकों को मण्डल में आमेलन करने का निर्णय लिया गया।	Secy

४
10/11/25

252.15	मण्डल द्वारा करवाये जा रहे डिपोजिट कार्यों हेतु लिये जा रहे प्रशासनिक शुल्क 7.5 प्रतिशत को संशोधित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	Dir(Project)
252.16	मण्डल द्वारा ई-ऑक्शन/नीलागी द्वारा आवंटित भू-खण्ड संख्या 28/सी/02 के विस्तृत परीक्षण जांच के लिये अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक को अग्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।	CEM,ACTP
252.17	भू-खण्ड संख्या 28/सी/02, आयुष मार्केट प्रताप नगर, जयपुर के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश संख्या 251.11 को डैफर किया गया।	FA
252.18	नवीन मॉडल भवन विनियम-2025 की छायाप्रतियां प्रिन्ट करवाकर नवनियुक्त परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।	ACTP

अन्त में बैठक सधन्याद समाप्त की गयी।

Handwritten signature

सचिव